क्रम-संख्या—588

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 सितम्बर, 1983
भाद्रपद 30, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2706/सत्रह-वि-1--1 (क)--17-1983

लखनऊ, 21 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 23 मई, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारंभ के दिनांक से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक के लिये, जो भी पहले हो, प्रत्येक मण्डी क्षेत्र जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान था या उक्त अवधि में इस रूप में घोषित किया जाय, उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्--

(क) जैसा खण्ड (ङ) में उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट की जाने वाली तदर्थ समिति द्वारा किया जायगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तदर्थ समिति में ग्यारह सदस्य होंगे, जिनमें से एक को सभापति पदाभिहित किया जायगा और सदस्यों में से एक-एक सदस्य मण्डी क्षेत्र में कारबार करने वाले कमीशन एजेन्टों और व्यापारियों में से, जैसा कि मण्डी समिति के लाइसेंस से प्रकट हो, होंगे और पांच सदस्य मण्डी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे;

(ग) राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम-निर्देशन करके बदल सकती है;

(घ) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदर्थ समिति को सभी प्रयोजनों के लिये मण्डी समिति समझा जायगा;

(ङ) तदर्थ समिति मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगी;

(च) यदि तदर्थ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा;

(छ) राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बना सकती है जिसमें उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या प्रवर्तन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, जो उसे पूर्ववर्ती या सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो;

(ज) खण्ड (क) और (ख) के अधीन तदर्थ समिति नाम-निर्दिष्ट किये जाने तक, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारंभ के ठीक पूर्व मण्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रवृत्त प्रबन्ध बना रहेगा;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट, इस धारा के अधीन तदर्थ समिति के नाम-निर्देशन के दिनांक से मण्डी समिति या उसके सभापति और उप सभापति के सभी अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करना बन्द कर देगा; और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किन्हीं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिये विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी भी उक्त दिनांक से उनका प्रयोग करना बन्द कर देगा।"

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "खण्ड (घ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (छ)" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,

No. 2706(2)/XVII-V-1—1Ka—17-83

Dated Lucknow, September 21, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to the Governor on September 20, 1983 :

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIES (ALPAKALIK VYAWASTHA) (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1983

(U. P. Act No. 18 of 1983)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpandan Mandi Samities (Alpakaiik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samities (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 23, 1983.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 7 of 1972.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samities (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter to be referred to as the principal Act,—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted* namely :—

"(1) With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Krishi U padan Mandi Samities (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983, the provisions of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), shall for a period of one year or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect in relation to every market area which existed on the date of such commencement or declared to be so during the said period, subject to the following provisions, namely :—

(*a*) Except as provided in clause (*e*), all powers, functions and duties of a Market Committee shall be exercised, performed and discharged by an *ad hoc* committee to be nominated by the State Government ;

(*b*) The *ad hoc* committee referred to in clause (*a*) shall consist of eleven members, one of whom shall be designated as the Chairman; and out of the members, one member each shall be from amongst commission agents and traders carrying on business in the market area, as evident from the licence of the market committee and five from amongst producer members of market area ;

(*c*) The State Government may at any time replace any member of the *ad hoc* committee by making a fresh nomination in his place ;

(*d*) Subject to the provisions of this section, the *ad hoc* committee shall be deemed for all purposes to be the Market Committee ;

(*e*) The *ad hoc* committee shall not transfer or acquire any immovable property without prior permission of the Director of Mandis, Uttar Pradesh, Lucknow ;

(*f*) If there is a difference of opinion amongst the members of the *ad hoc* committee the decision of the majority shall prevail ;

(*g*) The State Government may from time to time, by notification, make such incidental and consequential provisions, including provisions for adapting, modifying or suspending, in whole or in part, the operation of any provisions of the said Adhiniyam, but not affecting the substance, as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing or connected purposes;

(*h*) Until the nomination of *ad hoc* committee under clauses (*a*) and (*b*), the arrangement in force immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samities (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1983, for the exercise, performance and discharge of the powers, functions and duties of a market committee shall continue;

(*i*) The District Magistrate shall with effect from the date of the nomination of the *ad hoc* committees under this section, cease to exercise all powers, functions and duties of the Market Committee or its Chairman and Vice-Chairman, and any officer specified by the District Magistrate to exercise any such powers, shall also, with effect from the said date, cease to exercise them."

(ii) in sub-section (2), *for* the word "clause (*d*)" the word "clause (*g*)" shall be *substituted.*

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samities (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.